मुन्तकिली प्रकरण सं0 04/2016 अनवानी मनफूल पुत्र शेर सिंह जाति राजपूत निवासी 24 एसडी तहसील सूरतगढ बनाम 1–उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ 2–रामप्रताप पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी 24 एसडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.09.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विजय रेवाड़ उपस्थित है। अप्रार्थी उपस्थित नही है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित आवंटन प्रकरण संख्या 13/2015 अनवानी रामप्रताप बनाम सरकार में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को अन्यत्र स्थान पर लगाया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1578
5-9-16

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर